कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**78/25, दिनांक 04.12.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। । उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

प्रकरण में शामिल आरोपी आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश में द्वितीय जमानत याचिका BA-941/2025 दायर की जिसे माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटीक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल